

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स अमित कॉन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड, प्रबंध निदेशक-श्री अमित कुमार, पिता-श्री शिव शंकर सिंह, ग्राम-बादपुर, पोस्ट-मालपुर, थाना-मरांची, जिला-पटना द्वारा नालंदा सकरी नदी- 02 सकरी नदी पर बालू घाट, ग्राम-कटौना और राजपुर, पी.ओ.-कटरी सराय, पी.एस.-अंचल-कटरी सराय, जिला-नालंदा के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 25.08.2026 को अपराह्न 04:00 बजे नालंदा जिला के अंचल कार्यालय, कटरीसराय, जिला-नालंदा में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/3839/2026, dated 09.06.2026 के आलोक में श्री रंजन कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, नालंदा (जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, द्वारा दिनांक 25.08.2026 को अपराह्न 04:00 बजे अंचल कार्यालय, कटरीसराय, जिला-नालंदा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 21.07.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में

वृक्षारोपण (230 नं0) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री बमबम कुमार, कटौना, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू से लदा गाड़ी का परिवहन तिरपाल से ढककर किया जाना चाहिए। साथ-ही-साथ गाड़ी पर सुखा बालू का लोडिंग किया जाय।
2.	श्री अमित कुमार, कटौना, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या उपाय है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। बालू से लदा वाहन का परिवहन तिरपाल से ढककर किया जायेगा। साथ-ही-साथ PUC निबंधित वाहन का उपयोग किया जायेगा। बालू घाट से मुख्य सड़क तक रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाये जायेंगे।
3.	श्री गुलशन कुमार, कटौना, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना में रोजगार कैसे दिया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। जिनकी जो योग्यता होगी, उनको वैसा काम दिया जायेगा।
4.	श्री गौतम कुमार, कटौना, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा पूछा गया कि हमलोगों को बालू का जरूरत पड़ेगा तो कैसे मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन सरकार के द्वारा कराया गया जा रहा है। पट्टा धारक बालू घाट की बोली लगाकर घाट खरीदते हैं। इसलिए वह बालू मुफ्त में नहीं देंगे। क्योंकि उनको सरकार को राजस्व देना पड़ता है। बालू बाजार दर से बेचा जाता है।
5.	श्री राजेश कुमार, कटौना, जिला-नालंदा।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन से जल का स्तर नीचे जा रहा है। इसके लिए कोई उपाय किया जा रहा है कि नहीं।

		पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन 1 मी० की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर किया जायेगा। उपलब्ध तकनीकी जानकारी के अनुसार भू-जल स्तर नीचे जाने की संभावना कम है।
--	--	--

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जाना सुनिश्चित की जाय। 1 मीटर से अधिक गढ़ा होने से दुर्घटना हो जाती है।

पानी का छिड़काव सुनिश्चित हो। पेड़ लगाना सुनिश्चित हो। रात में बालू का परिवहन होने से रात में ध्वनि प्रदूषण होगा, इसका नियंत्रण हेतु नियमानुसार उपाय सुनिश्चित किया जाय। परिवहन के दौरान सड़क पर पानी नहीं चूना चाहिए। बालू की निकासी परियोजना क्षमता से अधिक न हो। बालू भण्डारण हेतु Secondary Point गाँव/मंदिर/मस्जिद/श्मशान आदि के नजदिक न हो। रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। लोक-सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव के आलोक में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

श्रीन कुमार
27/08/26
सहायक पर्यावरण अभियंता
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, पटना

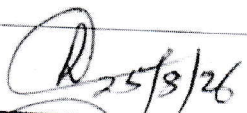
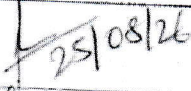
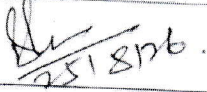
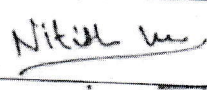
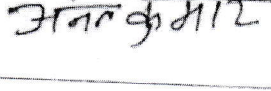
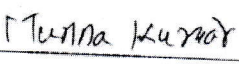
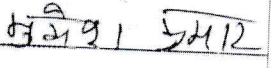
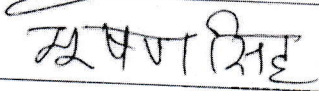
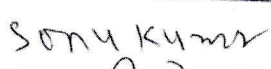
27/8/26
अपर समाहर्ता
आपदा प्रबंधन,
नालंदा

उपस्थिति सूचि

मेसर्स अमित कॉन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लिमिटेड, प्रबंध निदेशक-श्री अमित कुमार द्वारा नालंदा सकरी नदी- 02 सकरी नदी पर बालू घाट, ग्राम-कटौना और राजपुर, पी.ओ.-कटरी सराय, पी.एस.+अंचल-कटरी सराय, जिला-नालंदा से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, कटरी सराय, जिला-नालंदा दिनांक 25.08.2026

समय-04:00 P.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ranjit Kr. Chaudhary	ADM (D. Manager) Nalanda	
2.	रंजित कुमार	विशेष अधिकारी	
3.	Rupa Kumari	Mines Inspector Nalanda	
4.	Shweta Kumari	Circle Office Katri Sarai	
5.	Nitish Kumar	Aegis Env. Res. Pvt. Ltd. (Env. Consultant)	
6.	अनिल कुमार	कमिश्नर	
7.	Munna Kumar	Kachgoun	
8.	Nirwar Kumar	Saidi	
9.	Sonu Kumar	Katri dih.	
10.	सुमेश कुमार	जी च गार्ड	
11.	Raju Yadav	AbSar	
12.	Vikash Kumar	APSM	
13.	प्रमोद सिंह	कटरी डीह	
14.	सोनी कुमार	नालंदा	
15.	राम विवेक	को च गाँव	

16	केशव कुमार	करौना	केशव कुमार
17	पाना राहु	कुमान	पाना राहु
18	Chetsham kr	Durgpur	~~Chetsham kr~~
19	Amit Kumar	Katuna	Amit
20	Anshu Kumar	Rajpur	Anshu
21	पुनम कुमार	मिना	पुनम कुमार
22	कैलाश कुमार	रामपुर	~~Kailash Kumar~~
23	Amit Kumar	Bachpur	~~Amit Kumar~~
24	Bachpur	Katuna	Bachpur
25	Rajesh kr	Katuna	Rajesh
26	गोविंद कुमार	Indus mining pans	Syotish kr.
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			